

05.9.24.

५१-

पत्रावली पेश हुई श्री पवन गुहार अभिभाषक द्वारा वादी ओर से पूर्व में No Intimation कर दिया गया था। तत्पश्चात्, वादी को सूचना पत्र जारी करने हेतु अभिभाषक को आदेशित किया गया था। वादी को सूचना पत्र जारी कर दिया



जाने की मौखिक खुशना श्री पवन गुहार अश्वि
 का पेश की गई। तत्पश्चात् दो तारिख पेशिया
 बितने पर भी वादी अनुपस्थित। माघ वादी
 की तीन-चार बार आवाज भगाये जाने पर भी
 वादी अनुपस्थित। विद्यावा द अहम बाजरी
 अहम पेशी में खारिज किया जा कर पत्रावली
 फैसल सुमार कर दारिज दफतर की जाती है।

अ
 र
 रि
 म

अहमद अली
 मुकदमा नं. १६

(Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.)